

हरियाणा सरकार
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग
शुद्धिपत्र
दिनांक 7 अप्रैल, 2015

हरियाणा राजपत्र (असाधारण), दिनांक 2 फरवरी, 2015 में प्रकाशित हरियाणा नगरीय क्षेत्र निकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 (1975 का 8) में, हिन्दी पाठ के पैरा संख्या 1 की द्वितीय पंक्ति में, दिनांक 3 जुलाई, 2014 को “4 अप्रैल, 2014” पढ़ा जाएगा तथा हिन्दी पाठ के पैरा संख्या 1 की तृतीय पंक्ति में, दिनांक 4 अप्रैल, 2014 को “3 जुलाई, 2014” पढ़ा जाएगा।

पी० राघवेन्द्रा राव,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
नगर तथा ग्राम आयोजना, विभाग।